समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-148/2018/2063/26-3-2018-4(358)/07टी.सी.।।।

लखनऊः दिनांकः 26 जून 2018

कार्यालय ज्ञाप

समाज कल्याण अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-101/2017/आर-1614/26-3-2017-4(358)/07टी.सी।।, दिनांक-23.06.2017 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (षष्टम संशोधन)-2017" पर सम्यक्विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से उक्त नियमावली में भारत सरकार की गाईड-लाइन के अनुसार कतिपय प्रस्तरों में संशोधन/नवीन नियम जोड़ते हुये "उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (सप्तम संशोधन) नियमावली-2018" निम्नवत् किया जाता हैः-

वर्तमान नियम	प्रस्तावित नियम
यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 कहलायेगी।	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (सप्तम संशोधन) नियमावली-2018 कहलायेगी।
5(XVII)- "शुल्क" का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हों, शामिल होगी। छात्रावास/ मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।	5(XVII)- "शुल्क" का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हों, शामिल होगी। छात्रावास /मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। नोटः-1 राजकीय व निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में एक पाठ्यक्रम में एक ही बार में सम्पूर्ण शुल्क की अनुमानित समस्त धनराशि भुगतान किये जाने पर छात्र/छात्राएं इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	योजना में अपात्र होंगे। नोटः- 2 किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्रबन्धकीय कोटा सीट, स्पाट (**spot**) प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा दावा किये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
6-(ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेण्ड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये दी जायेगी। क- विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम। ख- निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम। ग- टेनिंगशिप डफरिन (अब राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रम। घ- सैनिक महाविद्यालय, देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यकम। च- अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम। छ- पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम। ज- निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनको किसी विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंगबाडी/सक्षम विभाग स्तर से सर्टिफिकेट/अंकपत्र प्रदान नहीं किये जाते हैं तथा सक्षम स्तर से परीक्षा आयोजन हेतु एजेंसी अधिकृत न हो अर्थात ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी सक्षम स्तर से नियंत्रित नहीं किये जाते।	6-(ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेण्ड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये दी जायेगी। क- यथावत । ख- यथावत । ग- यथावत । घ- यथावत । च- यथावत । छ- पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम (केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों में सुविधा अनुमन्य रहेगी)। ज- यथावत ।
6(v) ऐसे छात्र इसके पात्र नहीं होंगे, जो किसी एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक	**6(v)** सर्टिफिकेट लेवल, स्नातक पूर्व डिप्लोमा लेवल, स्नातक पश्चात डिप्लोमा लेवल,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी दूसरे व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के लिये अध्ययन करने लगे, जैसे बी0टी0/बी0एड0 के बाद एल0एल0बी0 करने लगे।	स्नातक लेवल व परास्नातक लेवल एवं डाक्टरेट लेवल के अन्तर्गत केवल एक पाठ्यक्रम में अनुरक्षण भत्ता एंव शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। एक ही लेवल के अन्तर्गत दूसरे पाठ्यक्रम में सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
6–(xvi) राजकीय एविएशन संस्थानों में संचालित कामर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स में कामर्शियल हेलीकाप्टर पायलट लाइसेंस कोर्स तथा कामर्शियल पायलट लाइसेंस के साथ मल्टी इंजन श्रेणी प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार को भारत सरकार के अनुमोदनोपरांत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी। इस क्रम में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की तिथि को पाठ्यक्रम में निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी। धनराशि प्राप्त हो जाने के बाद भी ए-320 के तथा समान एयरक्राफ्ट पर प्रशिक्षण हासिल होगा जिसके अन्तर्गत अध्ययनरत अभ्यर्थियों को केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार की स्वीकृति के पश्चात अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।	विलोपित
	6-(xix) यदि छात्र/छात्रा किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रह कर आनलाइन आवेदन करता है और धनराशि प्राप्त होती है किन्तु अगले वर्ष अध्ययन छोड़ दिया जाता है अथवा संस्था/पाठयक्रम को सक्षम स्तर से अनुमति के बिना परिवर्तित कर दिया जाता है तो गत वर्ष की भुगतान की गयी धनराशि को संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त कर विभाग को वापस करनी होगी। किसी छात्र का एरियर आगामी वर्ष में भुगतान किये जाने से पूर्व यह देखा जायेगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कि छात्र द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में नवीनीकरण का आनलाइन आवेदन किया गया अथवा नहीं किया गया है अर्थात उसने उस पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखा गया अथवा छोड़ दिया गया है। यदि अध्ययन को छोड़ दिया गया है तो सम्बन्धित छात्र को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क की एरियर की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी तथा उस पाठ्यक्रम में विगत वर्ष की धनराशि वापस करनी होगी।
	6-(xx) शिक्षा सत्र के अन्तर्गत नवीनीकरण के सम्बन्ध में शिक्षण संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुरक्षण भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने वाले नवीन छात्रों के सापेक्ष कम से कम 50 प्रतिशत छात्र नवीनीकरण का आवेदन करें। यदि 50 प्रतिशत से कम नवीनीकरण का आवेदन किया जाता है तो शिक्षण संस्था को वैध कारण बताने होंगे। वैध कारण के अन्तर्गत बाढ़/सूखा/ अनदेखी घटनाएं/कानून व्यवस्था आदि सम्मिलित होंगे। वैध कारण न बता पाने की स्थिति में नवीनीकरण न करने वाले छात्रों की धनराशि संस्था को वापस करनी होगी।
12(i) इस योजना में अर्ह छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा निम्न शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। (क) जिन संस्थानों में प्रवेश में भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आरक्षण व्यवस्था लागू है को छोड़कर, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अनुमोदित पाठ्यक्रम में अनुमन्य छात्र प्रवेश क्षमता की 40 प्रतिशत छात्र सीमा	12(i) इस योजना में अर्ह छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा निम्न शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। (क) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रम में पात्र एव सही डाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी किन्तु निःशुल्क प्रवेश की अनुमन्य व्यवस्था बाध्यकारी नहीं होगी। निःशुल्क प्रवेश की सुविधा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति छात्रों को ही प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर निःशुल्क प्रवेश अनुमन्य किया जायेगा।	
16 (vii) प्रत्येक छात्र/ छात्रा को छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में आधार कार्ड नम्बर (वैकल्पिक) अंकित करना होगा तथा अपने अभिलेखों को डिजिटल लाकर मे रखना होगा। इसके लिये आवेदन करने वाले समस्त छात्रों को अपने समस्त अभिलेखों को स्कैन कराकर निर्धारित प्रक्रियानुसार डिजिटल लाकर में रखा जायेगा, जिससे स्क्रूटनी में उनके आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं का मिलान किया जा सके।	16 (vii) प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में सही आधार कार्ड नम्बर अंकित करना होगा। फर्जी आधार नम्बर आवेदन पत्र में अंकित करने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन को अग्रसारित नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/ गलत आधार नम्बर का प्रयोग छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में अंकित किया जाता है तथा शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र को अग्रसारित किया जाता है तो इस अनियमितता के लिये शिक्षण संस्था व छात्र दोनों उत्तरदायी होंगे। इस दशा में छात्र का अभ्यर्थन/आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त कार्य के क्रियान्वयन एवं आधार नम्बर के सत्यापन हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से अनुबन्ध किया जायेगा।
	20–(ii) (क) निदेशालय समाज कल्याण/राज्य स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु छात्रवृत्ति अधिकारी नोडल मुख्यालय को स्टेट ग्रेवान्स रिड्रेसल आफीसर नामित किया जाता है। (ख)- मण्डल स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु मण्डलीय उप निदेशक को मण्डलीय ग्रेवान्स रिड्रेसल आफीसर नामित किया जाता है। (ग)-जनपद स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी को जनपदीय ग्रेवान्स रिड्रेसल आफीसर नामित किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (षष्टम संशोधन)-2017 के शेष प्राविधान पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-148/2018/2063(1)/26-3-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव,वित्त/नियोजन/न्याय/मा0शिक्षा/प्राविधिक/व्यवसायिक/चिकित्सा कृषि शिक्षा विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास उ0प्र0लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधित नियमावली को सम्बन्धित जनपदों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

7- कुल सचिव, उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

8- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 उ0प्र0।

9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

10- गार्डफाइल।

आज्ञा से
रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।